# कार्यालय
# सामान्य वनमण्डल जिला सीहोर (म0प्र0)

Mob-9424790850 E-mail :- dfot.seh@mp.gov.in
सीहोर-इछावर मार्ग, सीहोर (म.प्र.)466001

सीहोर दिनांक 18/10/2023

क्रमांक/मानचित्रकार/2023/ 10022

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
म.प्र.सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल म.प्र.।

विषयः- सीहोर जिले मे सिद्धिकगंज-हाटपिपलिया मार्ग उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 3.720 हैक्टयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः-
1. कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के पत्र क्रं/04/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 03.02.2022
2. म.प्र.शासन वन विभाग का पत्र क्रं/एफ-5/11/06/10-3/2105 दि. 03.07.2008
3. कार्यालयीन पत्र क्रं/मानचित्रकार/2023/3812 दि. 10.05.2023
4. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रं/6-एमपीबी002/2023-बीएचओ दि. 05.10.2023 (प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी)
5. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रं/एफ-5/1198/2022/10-11/4439 दिनांक 05.10.2023

--00--

विषयांकित संदर्भ मे लेख है कि आपके द्वारा वनमंडल सीहोर के परिक्षेत्र आष्टा अंतर्गत प्रस्तावित सिद्धीकगंज-हाटपिपलिया मार्ग निर्माण हेतु कुल 3.720 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि कार्य करने के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति चाही गई। जिसमे संदर्भित पत्र-4 एवं 5 से प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसके तारतम्य में निम्नलिखित बिंदुओं की पूर्ति आपके द्वारा की जाना हैः-

1. भारत सरकार के संदर्भित पत्र-4 के बिन्दु क्रमांक-**A(4)** के अनुसार 3.720 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने हेतु **(NPV)** की राशि जमा करने के संबंध मे भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रं/5-3/2011-FC(Vol-I) दि. 06.01.2022 वनो से प्रकार व घनत्व की आधार पर अनुसार व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि का वर्तमान कुल मूल्य **(NPV)** की राशि का निर्धारण किया गया है विषयांकित परियोजना से संबंधित परिक्षेत्र आष्टा के **कक्ष क्रमांक RF148, RF117, RF118, RF119, RF120, RF121, PF154** रकबा 3.720 हेक्टेयर में वनो की इको वेल्यू ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तथा वनो का घनत्व 0.3 है, अतः **NPV** की राशि 9,57,780/- प्रति हेक्टेयर की दर से 3.720 हेक्टेयर की **राशि 35,62,942/- शब्दों मे (पैंतीस लाख बासठ हजार नौ सौ बयालीस रूपये मात्र)** देय होगी।
2. बिंदु क्रमांक A(1) अनुसार ग्राम धुराड़ाकला तहसील आष्टा के खसरा क्रमांक-1/1/क रकबा 3.720 हेक्टेयर प्राप्त गैर-वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल राशि 39,40,802/- शब्दों में(उन्चालीस लाख चालीस हजार आठ सौ दो रूपये) राशि देय होगी।
3. NPV तथा वृक्षारोपण की राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया गया **है**।

| क्रं | मद | रकबा (हेक्टे.) | घनत्व | ईको क्लास श्रेणी | राशि | रिमार्क (यदि कोई हो तो) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नेट प्रजेण्ट वैल्यू | 3.720 | 0.3 | ईको क्लास- 3 | 35,62,942/- | 9,57,780/- प्रति हेक्टे. |
| 2 | वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि | 3.720 | - | - | 39,40,802/- | - |
| | महायोग | | | | 75,03,744/- | |

NPV की राशि 35,62,942/- **तथा** वृक्षारोपण की राशि **39,40,802/- कुल 75,03,744/-** का **भुगतान वेबसाइट (www.parivesh.nic.in)** पर जाकर केम्पा मद में जमा कराना सुनिश्चित कर चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराये।

4. बिंदु क्रमांक B(3) के अनुसार "Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert committee, shall be charged by the state Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect."
5. बिन्दु क्रमांक- A(6) के पालन मे वन अधिकार अधिनियम के तहत् कलेक्टर सीहोर का प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. बिन्दु क्रमांक- B(4) के पालन मे **सागौन-74 वृक्ष एवं अन्य 47 वृक्ष कुल 121 वृक्षो के विदोहन व्यय की कुल राशि 98832/- शब्दों मे (अंठान्वे हजार आठ सौ बत्तीस रूपये मात्र) देय होगी। उक्त राशि का ऑनलाईन** WWW.mptreasury.org की वेबसाईट के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय मे जमा करावें।
7. बिन्दु क्रमांक- A(12) के पालन मे भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति मे अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड करावे तथा 02 प्रति मे इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।
8. प्रकरण में आपके द्वारा परियोजना में प्रभावित वनभूमि के बदले कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के संदर्भित पत्र-1 से ग्राम धुराड़ाकला खसरा क्रमांक-1/1/क रकबा 9.247 हेक्टेयर में से 3.720 हेक्टेयर बड़ा झाड़/छोटा झाड़ जंगल मद की गैर-वनभूमि हस्तांतरित की गई। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मानचित्रकार/2023/3812 दि. 10.05.2023 से म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/11-06/10-3/2105 दि. 03.07.2008 में दिये गये निर्देशानुसार वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरित गैर-वनभूमि छोटे बड़े झाड़ की भूमि होने पर दुगनी 7.440 हेक्टेयर गैर-वनभूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में लेख किया गया, जिसकी पूर्ति आपके द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई है। अतः **इस संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत करे कि शेष 3.720 हेक्टेयर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जावेगी एवं शेष हस्तांतरित गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण किए जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान आपके द्वारा किया जावेगा के संबंध वचन पत्र प्रस्तुत करे।**

प्रकरण मे भारत सरकार के संदर्भित पत्र-4 एवं पत्र-5 से उपरोक्त प्रकरण मे प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। अतः संदर्भित पत्र द्वारा अधिरोपित शर्तो की पूर्ति उपरांत ही प्रस्ताव मे औपचारिक स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी, औपचारिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात ही कार्य करने की अनुमति प्राप्त होगी।

**संलग्नः- संदर्भित पत्र 4 एवं 5की छायाप्रति।**

वनमण्डलाधिकारी
**सामान्य वनमण्डल सीहोर**

**पृ.क्रमांक/मानचित्रकार/2023/** **सीहोर, दिनांक ...../...../2023**

**प्रतिलिपिः-**

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र., वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपवनमण्डलाधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी आष्टा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण मे लेख है की भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रस्ताव में सशर्त प्रथम चरण सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। अतः आवेदक विभाग को औपचारिक स्वीकृति के पूर्व वनक्षेत्र में कार्य न करने दिया जावे।

वनमण्डलाधिकारी
**सामान्य वनमण्डल सीहोर**